25/8/2024 पत्रावली दिनांक 20/8/2024 को अवकाश घोषित होने से आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या – 78/2014

1. कर्णसिंह पुत्र अजीत सिंह उम्र 28 साल जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

–वादी

बनाम

1. अशोक सिंह पुत्र पेपसिंह उम्र 37 साल
2. मनोज सिंह पुत्र पेपसिंह उम्र 35 साल
3. अनिल सिंह पुत्र बजरंगसिंह उम्र 35 साल
4. किरण कंवर पत्नी अशोक सिंह उम्र 34 साल
5. ज्ञाना कंवर पत्नी मनोज सिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– 1. श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट वादीगण

निर्णय दिनांक – 24/8/2021

वाद वादीगण संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बल्लभदासपुरा स्थित वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ख0नं0 198 में वादी के रिहायशी मकानात बने हुये है, उक्त भूमि के उत्तरी दिशा में व उत्तरी पूर्वी कोने में नीमकाथाना से खादरा जाने वाली सडक स्थित है और वादी की भूमिके उत्तरी ओर राजस्व नक्शे में भी आम रास्ता व सडक दर्शायी गयी है। इस प्रकार वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि के उत्तरी ओर प्रतिवादीगण की कोई खातेदारी भूमि शेष नही रही है और वादी की खातेदारी भूमि ख0 नं0 198 की उत्तरी सीमा जहां समाप्त होती है उसके बाद में रोड बाउण्ड्री ओर नीमकाथाना से खादरा जाने वाली रोड अवस्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा रोड बाउण्ड्री व वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि को दबाते हुये तामीर कार्य

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

करने का प्रयास करने व मौके पर निर्माण सामग्री डालने एवं धनबल व भुजबल से अवैध तामीर करने के प्रयास के कारण एवं वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी देने पर बिनाय ए दावा पैदा होकर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। वादीगण ने वाद पत्र में अनुतोष चाहा कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ख0 नं0 198 तन ग्राम बल्लभदासपुरा के कब्जे काश्त वादी में किसी प्रकार की दखल व खलल पैदा नही करें व वादी की खातेदारी की उक्त भूमि के उत्तर दिशा में व उत्तरी पूर्वी कोने की तरफ खादरा से नीमकाथाना आने जाने वाले सड़क व रोड़ बाउण्ड्री जो कि खसरा नंबर 195 व 197 तन ग्राम बल्लभदासपुरा में है, में किसी प्रकार का तामीर कार्य अवैध रूप से नहीं करें न ही रोड़ और रोड़ बाउण्ड्री में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या बाधा या कोई तामीर कार्य न तो करे न करवाये और न ही इस प्रकार का कोई कृत्य करें जिससे वादी के हकुक किसी भी कदर जायल होते हो।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गया। वादपत्र के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथ पत्र मुख्य परीक्षण बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया है कि वादपत्र में चाहे गये अनुतोष में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति इस प्रकार है खसरा नंबर 198 वादी एवं अन्य 39 खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है। खसरा नंबर 195 व 197 की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व अन्य 7 खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें वादी का कोई सरोकार नहीं है। अतः वादी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 198 में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है परन्तु खसरा नंबर 195 व 197 जो कि प्रतिवादीगण की ही खातेदारी भूमि है में स्वयं खातेदारान / प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 198 स्थिति ग्राम बल्लभदासपुरा की हद तक वाद वादी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

अतः ग्राम बल्लभदासपुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 198 रकबा 0.44 हैक्टे. में वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग करने में किसी भी प्रकार की दखल एवं खलल उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)